रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229283
CG-DL-E-27082021-229283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
No. 482] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 594(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276(अ) तारीख 6 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान हो जाने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

राजपत्र में उक्त अधिसूचना की प्रतियां 6 अप्रैल, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1989 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षित नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षित नाम केन्द्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम 2021 है ।

(2) ये 15, सितंबर 2021 से प्रवृत्त होंगें ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(गक) प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए लागू होगा ।

(गख) आधिकारिक पहचान-पत्र सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए लागू होगा ।"

3. उक्त नियम के नियम 48 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु बीएच-सीरीज के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले में यान स्वामी के द्वारा स्वेच्छापूर्वक चुनाव किया जाएगा, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण-पत्र या आधिकारिक पहचान-पत्र जैसा भी मामला हो के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रुप से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"

4. उक्त नियम के नियम 50 में उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से जारी किया गया बीएच-सीरीज यान के लिए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग में होगा और निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित होगा, अर्थात्:-

XX	XX	#### XX
रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक	भारत सीरीज कोड (2) अक्षर "BH" के रुप में	चार अंको 0001 से 9999 के पश्चात् अक्षर (अक्षरों) A, B, C, D……. और उसके बाद AA, AB…….,AZ, BA, BB……से ZZ तक से 'I' & 'O' वर्जित होगें

"

5. उक्त नियम में नियम 51क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51ख. मोटर यान कर के सिद्धांत. – (1) पूर्ण रुप से बने हुए गैर यातायात यान के मामले में मोटर यान कर माल और सेवा कर (जीएसटी) को अपवर्जित करके बीजक मूल्य के आधार पर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रकल्पित किया जाएगा ।

(2) मोटर यान कर बीएच-सीरीज गैर यातायात यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उद्ग्रहीत किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार से होगा, अर्थात् :-

क्रम सं.	बीजक मूल्य	मोटर यान कर (बीजक मूल्य का %)	टिप्पनियां
1.	10 लाख से कम	8%	2% अतिरिक्त भार डीजल वाहनों के लिए उद्ग्रहीत किया जा सकेगा । इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर भार हो सकेगा ।
2	10-20 लाख 10%	10%	
3.	20 लाख से अधिक	12%	

(3) उस मामले में जहां यान बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखता है तो मोटर यान कर निम्नलिखित रीति से दो वर्ष या दो से गुणज जैसा भी मामला हो, के लिए पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उद्ग्रहीत किया जाएगा, अर्थात्:-

बीएच-सीरीज रजिस्ट्रिकरण के अधीन यान के लिए दो वर्ष हेतु मोटर यान कर	=	$\frac{\text{बीजक मूल्य के अनुसार मोटर यान कर * 1.25*2}}{15}$ (अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण)
टिप्पण : मोटर यान कर के संदाय की नियत तारीख से सात दिनों के पश्चात् सड़क कर के संदाय में देरी के मामले में एक सौ रु. प्रति दिन की अतिरिक्त फीस उद्ग्रहीत की जाएगी ।		

परन्तु पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौदहवे वर्ष पर और पश्चात् मोटर यान कर (अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण) वार्षिक रूप से उद्गृहीत किया जाएगा जो उपनियम (3) में यथा उल्लिखित कर का आधा होगा ।

6. उक्त नियम के नियम 54 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) यह नियम बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान पर लागू नहीं होंगें ।

परन्तु बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान का स्वामी तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उस मामले में जब यान उस राज्य के अलावा जहां यान पहले रजिस्ट्रीकृत था, में है प्ररूप 33 में अपने निवास स्थान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा," ।

7. उक्त नियम में प्ररूप 59क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 60

[नियम 47(1) (गक) देखिए]

कार्यात्मक प्रमाण-पत्र

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

हम यह घोषणा करते हैं कि ------------------------------ पुत्र/पुत्री ------------------हमारी कंपनी/संगठन में ---------------- से कार्य कर रहे हैं । और यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या अधिक में कार्यालय हैं ।

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : ------------" ।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख, 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 575(अ), तारीख 11. 08. 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

G.S.R. 594(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 276 (E), dated the 06th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said notification published in the Gazette were made available to the public on the 06th April, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules, 2021.

2. They shall come into force with effect from the 15th day of September, 2021.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ca) working certificate in Form 60, in case the applicant working in private sector applies for BH-Series registration mark;

(cb) Official Identity Card, in case the applicant working in Government office applies for BH-series registration mark;".

3. In the said rules, in rule 48, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, in case of application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card, as the case may be, by the registering authority."

4. In the said rules, in rule 50, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(8) The registration mark for BH-series vehicle generated randomly through the portal shall be in black on white background and shall be exhibited in the following manner, namely:—

"

XX	**XX**	**#### XX**
Last two digits of the year of registration	Bharat Series code (2) letters as **" BH"**	4 numerals 0001 to 9999 followed by letter(s) A, B, C …and then AA,AB…..AZ, BA, BB …..to ZZ excluding 'I' & 'O' ".

."

5. In the said rules, after rule 51A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**51 B. Principle for motor vehicle tax.**—(1) In case of fully built non-transport vehicles, the motor vehicle tax shall be calculated electronically through the portal on the basis of invoice price excluding Goods and Services Tax (GST).

(2) The Motor Vehicle Tax levied by the States or Union Territories at the time of registration in respect of BH - Series non-transport vehicles shall be the following, namely:—

Sr. No.	Invoice Price	Motor vehicle Tax (% of Invoice Price)	Remarks
1.	Below Rs 10 lakh	8%	2% extra charge shall be levied for diesel vehicles. Electric vehicles shall be charged 2% less tax.
2.	Rs 10-20 lakh	10%	
3.	Above Rs 20 lakh	12%	

;

(3) In case, where the vehicle bears BH-Series registration mark, the motor vehicle tax shall be levied electronically through the portal for two years, or in multiples of two, as the case may be, in the following manner, namely:—

Motor Vehicle tax for two years for the vehicle under BH-series registration	=	**Motor Vehicle tax as per Invoice Price * 1.25 *2** / **15** **(Rounded to next integer)**
Note:—After seven days from the due date of payment of motor vehicle tax, an additional fee of one hundred rupees per day shall be levied in case of delay in payment of road tax.		

Provided that on and after fourteenth year from the date of first registration, the motor vehicle tax (Rounded to next integer) shall be levied annually which will be half of the tax as mentioned in sub-rule (3)."

6. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) This rule, shall not apply to a vehicle having BH- Series registration mark.

Provided that the owner of the vehicle bearing BH Series registration mark shall intimate the registering authority of his place of residence in Form 33, within thirty days, electronically through the portal, in case the vehicle is being kept in the State other than where the vehicle was earlier registered,".

7. In the said rules, after Form 59A, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

We hereby declare that ………………………… …………………………… S/o/ D/o………………………… is working in our company/organization since……………………………. It is further to certify that we have offices in four States/UTs or more.

Signature or thumb impression of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Date…………………………….. official seal".

[F. No. RT-11036/48/2019 -MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 575(E), dated 11.08.2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.